



लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधीन एक स्वायत्त संस्थान)

Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

(An Autonomous Organization under Ministry of Human Resources Department, Ministry of MSME and Niti Aayog)

Website: www.lbspcc.in Ph: 121-4349311

Ref No. LBSPSTC/01/GR/030

Office Order

Office order No. LBSPSTC/01/GR/0448

DATE: 08/04/2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य

श्री हरी कृष्णा

निदेशक: कृष्णा कम्प्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट

पता: नियर लक्ष्मी गेस्ट हाउस कडोरा जालौन उत्तर प्रदेश 285203

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 की केंद्र प्राधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में-

महोदय / महोदया,

उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा सत्र 2024-25 हेतु आपके संस्थान को केंद्र की स्वीकृति प्रदान की गई अस्थाई स्वीकृति पर परिषद की केंद्र स्वीकृति समिति द्वारा विचारोपरांत की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत पत्रांक संख्या 110 / सोलह-2023 दिनांक 21 / 03 / 2023 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु काउंसिल द्वारा आपके केंद्र को अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sr. No.	Course
1.	Diploma in Medical Lab Technician
2.	Diploma in Community Medical Service and Essential Drug
3.	Diploma in X- Ray Technician
4.	Diploma in Optometry
5.	Diploma in Medical Record Technology
6.	Diploma in Anesthesia
7.	Diploma in Yoga and Naturopathy Science
8.	Diploma in Operation Theater Technician
9.	Diploma in Dental Hygiene Technology
10.	Certificate in Veterinary and Animal Science

उपरोक्त केंद्र अस्थाई स्वीकृति (सत्र 2024-25) निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- ✓ लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रवेश शुल्क के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। संस्थान द्वारा उपयुक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर अस्थाई स्वीकृति संबंधी विशेष अधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को अस्थाई स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सूचना/विवरण, तथा संबद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि काउंसिल के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- ✓ कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति की इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि ऐसे संस्थान का काउंसिल द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउंसिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2024-25 में प्रवेश की कार्यवाही संपन्न कराई जा सकेगी।
- ✓ संस्थान का शैक्षिक सत्र के अंतर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण काउंसिल द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के द्रष्टिग्रत अस्थाई स्वीकृति समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- ✓ आपकी संस्था को सम्पूर्ण जालौन जनपद का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, जिसमें आज की दिनांक के बाद आपके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को जालौन का सेंटर नहीं दिया जाएगा। जिसमें आपकी संस्था को सम्पूर्ण जनपद का कार्यभार सौंपा जाता है कृपया इस उत्तरदायित्व का भार त्रुटिमुक्त रखने की योजना योजित करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
2. सचिव, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
3. परिक्षा नियंत्रक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
4. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
- 5- गार्ड फाइल।



Your Faithfully
(Dr. Sonam Arya)
Registrar

Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill
and Training Council,
India